क्रम संख्या–171(क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2003 ई0
आश्विन 22, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग

संख्या : 3/1/3/2003–सी0एक्स0

देहरादून, 14 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. (1) राज्य सरकार का कार्य उत्तरांचल सचिवालय के विभागों या अनुभागों में, जैसा कि इस नियमावली के परिशिष्टों में उल्लिखित है अथवा राज्यपाल द्वारा इस हेतु समय–समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों में उल्लिखित होगा, किया जायगा।

(2) इस नियमावली के परिशिष्ट–2 में अनुभागों के कार्यों के विवरण में कार्यों के नामों का उल्लेख किया जायेगा जो सम्बन्धित अनुभाग में व्यवहृत होंगे तथा उन अधिनियमों, नियमों एवं नियम–संग्रहों का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा जो सम्बन्धित अनुभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण में होंगे।

(3) विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वयं परीक्षण करके उपनियम (2) में उल्लिखित विवरण–सामग्री अथवा यथास्थिति उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेशों के लिये विवरण सामग्री सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा सचिवालय प्रशासन अनुभाग यथोचित स्तरीय आदेश प्राप्त करके उपनियम (2) में उल्लिखित परिशिष्टों अथवा समय–समय पर यथापेक्षा उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश की अधिसूचना जारी करेंगे।

(4) उप नियम (1) व (2) के अधीन उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से बांटे गये या बांटा हुआ समझे गये विषयों के अतिरिक्त उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभागों या विभागों को निम्नलिखित में से किसी

विधि के अधीन, जहां तक वे विषय उन्हें बांटे गये हैं और मुख्य सचिव के सामान्य निदेशों के अधीन रहते हुए, आदेश जारी करने की शक्ति होगी :–

(क) तत्समय प्रवृत्त भारत रक्षा अधिनियम और नियम;

(ख) आवश्यक सेवायें या आवश्यक मूर्ति बनाये रखने के लिये तत्समय प्रवृत्त कोई विधि;

(ग) तत्समय प्रवृत्त आवश्यक वस्तु अधिनियम;

(घ) भूमि अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई विधि;

(ङ) अनुभाग या विभाग को बांटे गये विषय से संबंधित किसी अपराध के लिये अभियोजन की स्वीकृति।

3. राज्यपाल, मुख्य मंत्री की मंत्रणा से, एक मंत्री के प्रभार में एक या अधिक विभाग सौंप कर मंत्रियों के मध्य सरकार के कार्य का बंटवारा करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात एक विभाग को एक से अधिक मंत्रियों को सौंपने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

4. सचिवालय के प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख सचिव या सचिव होगा, जो उस विभाग का शासकीय अध्यक्ष होगा, और उसके अधीनस्थ उतने अन्य अधिकारी और सेवक होंगे जितने राज्य सरकार अवधारित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) एक ही प्रमुख सचिव या सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं, और

(ख) एक ही विभाग के काम का विभाजन दो या अधिक प्रमुख सचिवों या सचिवों के मध्य किया जा सकता है।

5. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में लागू उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 उत्तरांचल में लागू रहने के संदर्भ में तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है, सिवाय उन विषयों के जो उसके अधीन सम्पादित किए गए हों अथवा किये जा रहे हों :

परन्तु ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उक्त उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 के नियम 2 के अधीन बनाये गये परिशिष्ट–1 और परिशिष्ट–2, जब तक कि वे इस नियमावली के अधीन बनाए जाकर अधिसूचना द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से विखण्डित या संशोधित न किये जायें, प्रवृत्त रहेंगे मानो वे इस नियमावली के अधीन जारी किये गये हों, तथा पूर्णतः या आंशिक रूप से विखण्डन या संशोधन की ऐसी अधिसूचना के पश्चात् वे, यथास्थिति, स्वतः विखण्डित या संशोधित समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ० आर० एस० टोलिया,
मुख्य सचिव।

संख्या : 3/1/3/2003–सी०एक्स०

प्रतिलिपि अंग्रेजी रूपान्तर सहित निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1. राज्यपाल के सचिव (6 प्रतियां)।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. समस्त मंत्रियों/राज्यमंत्रियों के निजी सचिव।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 3/1/3/2003. C.X., dated October 14, 2003.

NO. 3/1/3/2003. C.X.

Dated Dehradun, October 14, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clause (2) and (3) of the Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to make the following Rules, namely :--

THE BUSINESS OF UTTARANCHAL (ALLOCATION) RULES, 2003

1. (1) These rules may be called the **"Business of Uttaranchal (Allocation) Rules, 2003".**

(2) They shall come into force at once.

2. (1) The business of the Government shall be transacted in the sections or departments of the Uttaranchal Secretariat as may be specified by general or special orders of Governor, issued from time to time, in that behalf.

(2) In the appendix-2 of these Rules the number allocated to the sections, the names of the sections and the names of the work allocated to each section shall be mentioned. The names of the Acts, Rules, Regulations and Manuals being dealt with in each section shall be specially mentioned.

(3) It shall be the responsibility of the Principal Secretary or Secretary of the department to send the material mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2), as the case may be, to the Secretariat Administration Department after personally examining such material and the Secretariat Administration Department shall obtain orders of the suitable level before issuing the notification mentioned in sub-rule (2) or order received by them under sub-rule (1) from time to time.

(4) In addition to the subjects specifically allocated or deemed to be allocated to them under sub-rule (1) and sub-rule (2), all sections or departments of the Uttaranchal Secretariat shall have powers to issue orders under any of the following laws, in so far as the subject is allocated to them and subject to general directions of the Chief Secretary :--

(a) The Defence of India Act and rules for the time being in force;

(b) Any law for the time being in force for the maintenance of essential services or essential supplies;

(c) The Essential Commodities Act for the time being in force;

(d) Any law relating to land acquisition for the time being in force;

(e) Sanction for prosecution for any offence relating to the subject allocated to the section or department.

3. (1) The Governor shall, on the advice of the Chief Minister, allot among the Ministers, the business of the Government by assigning one or more departments to the charge of a Minister :

Provided that nothing in this rule shall prevent the assigning of one department to the charge of more than one Minister.

4. Each Department of the Secretariat shall consist of the Prinicpal Secretary or Secretary to the Government, who shall be the official head of that Department and of such other officers and servants subordinate to him as the State Government may determine :

Provided that--

(a) more than one Department may be placed in charge of the same Principal Secretary or Secretary; and

(b) the work of a Department may be divided between two or more Principal Secretaries or Secretaries.

5. The Business of Uttar Pradesh (Allocation) Rules, 1975 shall be repealed, in so far as these are applicable to the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 with immediate effect, except in respect of such cases, which have either been disposed of or are in the process of being disposed of under the said Rules :

Provided, however, that notwithstanding such repeal the Appendix-1 and the Appendix-2, made under Rule-2 of the aforesaid The Business of Uttar Pradesh (Allocation) Rules, 1975 shall remain in force till these Appendices are made under these Rules and repealed or amended fully or partly by notification of repeal or amendment, fully or partly, as the case may be, shall be deemed to have been automatically repealed or amended.

By Order,

Dr. R. S. TOLIA,
Chief Secretary.